

राजस्थान सरकार  
अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृत्ति  
**आवेदन-पत्र**  
(सत्र 2015-2016 की छात्रवृत्ति हेतु)

01. छात्र/छात्रा का नाम .....
02. जाति ..... उपजाति .....
03. पिता का नाम व व्यवसाय .....
04. परिवार की कुल वार्षिक आय .....
05. प्रार्थी का निवास स्थान ..... ग्राम ..... पोस्ट .....  
तहसील .....
06. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है।  
(अ) शाला का नाम ..... स्थान.....  
(ब) पोस्ट ऑफिस ..... तहसील..... जिला .....  
कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ़ रहा/रही है .....  
वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि .....
- पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है :-  
स्कूल का नाम .....
- ..... स्थान..... पोस्ट ऑफिस.....
07. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है .....
08. परीक्षा फल ..... उत्तीर्ण ..... अनुत्तीर्ण .....

**गत परीक्षा में अंको/ग्रेड का विवरण**

क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड	क.सं.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक/ग्रेड
1				4			
2				5			
3				6			

कक्षा में स्थान ..... श्रेणी..... योग ..... प्राप्तांक.....

09. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हां तो :-  
(अ) कहां से मिलती है.....(ब)कितनी मिलती है .....
- (स) दर ..... (द) मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक व एक मुश्त .....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

(2)

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

01. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
02. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
03. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका  
(मोहर सहित)

: : संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र : :

01. मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति ..... है जो अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ी जाति/विमुक्त जाति/धुमककड़ जाति की गणना में आती है।
02. इनके परिवार की वार्षिक आय ..... है।

हस्ताक्षर  
पद (मय सील सहित)

—उक्त छात्र/छात्रा को ..... रुपये प्रतिमाह के हिसाब से माह ..... से ..... तक की छात्रवृत्ति के कुल ..... रुपये स्वीकृत किये जाते हैं।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार  
पद (मय सील सहित)

नोट :- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।